फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री प्रभुलाल** विपक्षी :– **राज्य**

किस्म मुकदमा :– 131, 133 एल.आर.एक्ट पत्रावली संख्या :– **02/25 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :– **2025/8**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 15.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सेग्रीगेशन ऑनलाईन नक्शे में आराजी नम्बर 3393/2833 की तरमीम गलत की गई है। जिसे मूल नक्शा अनुसार तरमीम किया जाना उचित है। तहसीलदार द्वारा नक्शा भी प्रस्तुत किया गया। परन्तु तरमीम सही नही होने से पुनः रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को लिखा गया। तहसीलदार द्वारा पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रस्तावित नक्शा प्रस्तुत किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम पलानाकला पटवार हल्का पलानाकला तहसील घासा की आराजी नम्बर 3393/2833 ग्राम पंचायत आबादी में दर्ज है। उक्त भूमि की तरमीम साबिक नक्शे में कर रखी है। उसके पश्चात सेग्रीगेशन का कार्य किया गया। सेग्रीगेशन के समय साबिक नक्शे अनुसार तरमीम नही कर अपने मन मुताबिक तरमीम कर दी गई। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि सेग्रीगेशन के दौरान पटवारी हल्का के पास जो नक्शा था उसी नक्शे को ऑनलाईन करना था। अर्थात साबिक नक्शे में जहां तरमीम कर रखी थी उसी अनुसार ऑनलाईन नक्शे में करनी थी। राजस्व कर्मचारियो को अपने मनमुताबिक तरमीम करने का अधिकार नही था। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपने मनमुताबिक तरमीम कर दी गई। जबकि उक्त भूमि बिलानाम से आबादी दर्ज हुई उसका नक्शा भी नामान्तरकरण पर अंकित है। नामान्तरकरण पर अंकित नक्शे अनुसार ही साबिक नक्शे में तरमीम कर रखी है। उसी अनुसार हाल ऑनलाईन नक्शे में तरमीम करनी चाहिए थी। तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि साबिक नक्शा अनुसार उक्त आराजी की तरमीम हाल नक्शे में तहसीलदार घासा द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजीयात का साबिक नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने बाबत प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रस्तावित नक्शा ट्रेस/साबिक नक्शा अनुसार तरमीम किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:25:19 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पलानाकला पटवार हल्का पलानाकला तहसील घासा की आराजी नम्बर 3393/2833 की तरमीम साबिक नक्शा/प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:25:19 IST
Reason: SelfAttested